न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

अपील संख्या–14/2021 (सू0 का अधि0)

श्री भंवरलाल पुत्र श्री घनश्याम धाकड़ निवासी म0नं0 31 ए गायत्री विहार प्रथम बोरखेड़ा कोटा राज0

–अपीलार्थीया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं जिला रसद अधिकारी कोटा

–प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 07/12/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री भंवरलाल पुत्र श्री घनश्याम धाकड़ निवासी म0नं0 31 ए गायत्री विहार प्रथम बोरखेड़ा कोटा ने दिनांक 02.06.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला जिला रसद अधिकारी कोटा के यहाँ एक प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न सूचना चाही गयी है –

1. वित्तीय वर्ष 1980 से वित्तीय वर्ष 1990 के बीच ग्राम गलाना निवासियों के जारी किये गये राशन कार्ड की प्रतिलिपि ।
2. ग्राम गलाना निवासियों की सम्पूर्ण सूचना जो खाद्व सुरक्षा के पात्र है । वित्तिय वर्ष 1980 से 1990 के बीच ।

उपरोक्त सूचना समय पर नहीं मिलने के कारण प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 14.09.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा से वांछित टिप्पणी एवं रेकार्ड भिजवाने हेतु लिखा गया । जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा पत्रांक/रसद/रा.का./2021/120 दिनांक 25.11.2021 से टिप्पणी इस इस न्यायालय को भिजवाई जाकर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 2.6.2021 से चाही गई सूचना में पत्रांक/रसद/रा.का./2021/20 दिनांक 10.6.2021 से प्रार्थी को जवाब भिजवाया जा चुका कि " वर्ष 1980 1990 के बीच ग्राम गलाना के निवासियों के जारी राशन कार्डो की प्रतियां कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं वर्ष 1980–1990 के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं है ।"

जिला कलक्टर
कोटा

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा के पत्र दिनांक 25.11.2021 का अवलोकन किया । जिस अनुसार वर्ष 1980–90 के बीच में ग्राम गलाना में जारी राशन कार्ड की प्रतियां उपलब्ध नहीं होना बताया है । प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना ग्रामीण क्षैत्र की है तथा इस अवधि के के राशन कार्ड सम्बन्धी सूचना संभवतया पंचायत समिति लाडपुरा में हो सकती है । अपीलार्थी उक्त सूचना पंचायत समिति से प्राप्त कर सकते है ।

परिणामतः प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला रसद अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है । अपीलार्थी वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु नियमानुसार पंचायत समिति लाडपुरा में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है । अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को लिखाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा